

आर. टी. आई. मामला
स्पीड पोस्ट द्वारा, आज ही

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(बजट अनुभाग) वित्त प्रभाग

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.
दिनांक: 04.04.2015

फा.सं.21/2005-06/बजट (आर. टी. आई.)/खंड-5 (पार्ट फाइल)

सेवा में,

श्री ललित उरांव,
प्रशासन अधिकारी
आर. टी. आई. प्रकोष्ठ,
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली.


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12.03.15 के आर. टी. आई. आवेदन का अवलोकन करें जोकि आर. टी. आई. प्रकोष्ठ के दिनांक 17.03.15 के पत्र संख्या एफ. 35-241/ 2015/ आर. टी. आई. स्था-1 के माध्यम से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त) के दिनांक 17.03.15 के पत्र संख्या 345/आर. टी. आई./2014/सी.पी.आई.ओ. (वित्त) के द्वारा दिनांक 17.03.15 को प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त आर. टी. आई. आवेदन की अपेक्षित सूचना वित्त प्रभाग संबंधित नहीं है।

वित्त एवं लेखा प्रभाग के अपीलीय प्राधिकारी श्री विजय सिंह, वित्त सलाहकार, भूतल, प्रशासनिक खण्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली हैं।


भवदीय,



(सतीश खुराना)

वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी तथा
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
वित्त प्रभाग, अ.भा.आ.सं.

- प्रतिलिपि:** - 1. श्री शिवेन्द्र भारतीय, सी-46/2, गली नंबर-17, पूर्वी आजाद नगर, दिल्ली-110051,
2. वित्त सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी के वैयक्तिक सहायक।
3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त प्रभाग) का कार्यालय, (एम्स)।
4. कम्प्यूटर सुविधा-इस अनुरोध के साथ कि इसे एम्स की वेबसाइट पर आर. टी. आई. के तहत अपलोड किया जाए।


7.4.2015